

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

संख्या—05/स्था0 (DTO)—30/2018 (छाया संचिका) / जिला पदाधिकारी,
नालंदा के अनुशंसा के आलोक में श्री राजन कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा
को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के कार्यों के निष्पादन हेतु
प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण
अधिनियम, 1994 की धारा—3 का प्रयोग करते हुए श्री राजन कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी,
नालंदा की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(कृत्यानंद रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

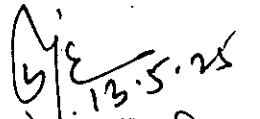
निबंधित/ई-मेल

ज्ञापांक:—05/स्था0 (DTO)—30/2018 (छाया संचिका)

3869 / पटना, दिनांक 13/5/2025

प्रतिलिपि— अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग,
वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,
पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त,
पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/उप
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री राजन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा/जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा/माननीय मंत्री,
परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार
के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, नालंदा/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, नालंदा
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री मनोज कुमार पाणिग्रही, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक—F, एन0आई0सी0 (NIC),
बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में अंकित श्री राजन कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप
समाहर्ता, हिलसा को जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के कार्य हेतु वाहन/सारथी कार्य के लिए User
ID/Password निर्गत करने की कृपा की जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव